

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 मे रद्दी, गत्ता, कचरा एवं अन्य स्क्रेप सामग्री  
की बिक्री हेतु निविदा सूचना



**SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA**  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा  
प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़-160020

<https://cag.gov.in/ae/haryana/hi>

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा का कार्यालय  
प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़-160020

निविदा आमंत्रण सूचना

जीए-II/रद्दी की बिक्री/2025-26/228

दिनांक :24.02.2026

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए रद्दी, गत्ता, कचरा, अखबार, और अन्य स्क्रेप सामग्री की बिक्री के लिए सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रस्ताव निम्नलिखित प्रारूप में दिए जाने चाहिए:

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	दर/किलो
1.	रद्दी	
2.	गत्ता, कचरा	
3.	अखबार	
4.	अन्य स्क्रेप सामग्री	

सीलबंद प्रस्ताव प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़ को निम्नलिखित तिथि से पहले प्रस्तुत किए जाने हैं :05.03.2026 (03:00 PM).

निविदा प्रकाशन की तिथि : 24.02.2026 (मंगलवार)

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि : 05.03.2026 (03:00 PM) (गुरुवार)

प्रस्ताव खोलने की तिथि : 06.03.2026 (11:30 AM) (शुक्रवार)

टेंडर खोलने का स्थान : कार्यालय- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),  
हरियाणा, प्लॉट नंबर 4 और 5, सेक्टर-33बी, चंडीगढ़

निम्नलिखित शर्तें एवं शर्तें लागू होंगी: -

1. कार्य अनुबंध 02 वित्तीय वर्षों अर्थात 2026-27 एवं 2027-28 के लिए प्रदान किया जाएगा। द्वितीय वर्ष के लिए विस्तार प्रथम वर्ष के कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा। दो वर्षों के पश्चात कार्य अनुबंध का 01 वर्ष के लिए अतिरिक्त

- विस्तार/नवीनीकरण, कार्य के संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक पूर्ण होने तथा सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अधीन होगा।
2. बोलीदाताओं का 01.01.2026 से ट्राईसिटी (चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला) में पंजीकृत कार्यालय/शाखा होना चाहिए। इसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  3. बोली प्रतिभूति: (ईएमडी) राशि रु. 15,000/- (पंद्रह हजार केवल) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में " प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़" के पक्ष में जमा करनी होगी, असफल बोलीदाताओं को बोली से अयोग्य घोषित होने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
  4. सफल बोलीदाता को कार्य अनुबंध पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर " प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा, चंडीगढ़" के पक्ष में 30,000/- (तीस हजार केवल) रुपये की निष्पादन प्रतिभूति: (PBG) फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट - (एफडीआर) के रूप में जमा करनी होगी। निविदा के समय जमा की गई बोली प्रतिभूति (ईएमडी) निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के बाद वापस कर दी जाएगी। नोट: एफडीआर 31.05.2028 तक वैध होनी चाहिए।
  5. सफल बोलीदाता को अनुबंध अवधि के दौरान कागजी कचरा और अन्य स्क्रेप सामग्री को सूचना मिलने पर या द्वी- मासिक आधार पर उठाना होगा। सामग्री को इस कार्यालय को देय भुगतान का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद ही उठाया जाएगा।
  6. हस्ताक्षरकर्ता किसी भी टेंडर/प्रस्ताव को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  7. ठोस कागजी कचरे को इस कार्यालय से सूचना मिलने के तीन दिनों के भीतर कार्यालय परिसर से उठाना होगा, अन्यथा उपरोक्त सामग्री को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर बेच दिया जाएगा।
  8. यदि टेंडर/ठेकेदार अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी कारण से कार्य को अधूरा छोड़ देता है या टेंडर विनिर्देश के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो निष्पादन सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी।
  9. उपरोक्त शर्तें और शर्तें बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृति के प्रतीक के रूप में हस्ताक्षरित प्रस्ताव के साथ होनी चाहिए।
  10. यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
  11. अनुबंध केवल चंडीगढ़ की अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

-हस्ता-

वरिष्ठ उप महालेखाकार(प्रशासन)